(c) Government has introduced Integrated Skill Development Scheme (ISDS) with an objective to address the skilled manpower needs of textiles and related segments during Twelfth Five Year Plan to train 15 lakh persons including unskilled youths.

SHORT NOTICE QUESTION

Mechanism to provide satisfactory selling prices to farmers

3. SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Ministry, in consultation with State Governments, is going to initiate a special mechanism for proper marketing system to provide satisfactory prices to farmers for selling of fruits and vegetables; and

(b) if so, whether Government has conducted any study in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. SANJEEV KUMAR BALYAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A Committee of Ministers in-charge of Agricultural Marketing from 10 States was constituted in March, 2010 to promote reforms in agriculture marketing sector. The Committee, in its report presented on 2nd July, 2013, made several policy recommendations for improving the agricultural marketing systems, including recommendations for development of proper marketing system for fruits and vegetables.

In keeping with the recommendations of the Committee, advisories have been issued to all States/Union Territories (UTs) to deregulate marketing of fruits and vegetables so as to encourage development of alternative channels of marketing such as private markets and allow direct marketing of produce by farmers/Farmer's Producers Organisations (FPOs)/ Growers' Associations to consumers, bulk buyers, processors, exporters, etc. These measures would increase competition and minimise non value adding intermediaries in the supply chain thus ensuring better prices to the farmers and affordable prices to the consumers.

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, कृषि उत्पादन और मानवीय जरूरत ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृषक अपने यहां फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा करते हैं और जब उनके यहां उत्पादन

1.00 P.M.

ज्यादा होता है वैसी स्थिति में मार्केट में उसका भाव गिर जाता है। जब किसान के यहां उत्पादन कम होता है तो उस स्थिति में मार्केट में उसका भाव बढ़ जाता है। Fruits and vegetables are perishable items.

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री मनसुख एल. मांडविया : फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैरिशेबल उत्पादन होने के नाते जब मार्केट में उनका भाव बढ़ जाता है, वैसी स्थिति में भी लोगों में यह भावना होती है कि भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया। तो भी किसानों को सही भाव नहीं मिलता।

श्री सभापति : प्रश्न क्या है आपका?

श्री मनसुख एल.मांडविया : और जब किसान के यहां उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो वैसी स्थिति में भी भाव कम मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिससे किसानों को अच्छा भाव मिल सके और मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उपलब्ध भी रहें, उनके लिए क्या आपने कोई ऐसा मेकेनिज्म तैयार किया है जिससे दोनों के हित में काम हो सके?

डा. संजीव कुमार बालियान : माननीय सभापति जी, इस संबंध में लगातार सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी, 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा सरकार द्वारा प्रदेश सरकारों को ए.पी.एम.सी. एक्ट में सुझाव दिए गए थे कि इसमें संशोधन किया जाए। उसके संबंध में 2010 में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के मिनिस्टर शामिल थे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2013 में दी। सभी प्रदेश सरकारों को एडवाइजरी जारी दी गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रदेश सरकार का विषय है, यह केन्द्र सरकार का विषय नहीं है। उसमें जब प्रदेश सरकारों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो माननीय कृषि मंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है कि इस पर एक एक्शन ग्रुप बनाया जाए, जिससे प्रदेश सरकारों के साथ बैठकर इस समस्या का निदान हो सके। दूसरी बात, जो इसमें महत्वपूर्ण है, लगातार कृषि मंत्रालय की तरफ से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत कोल्ड चेन डेवलपमेंट और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता प्रदेश सरकारों को दी जा रही है। इसके साथ-साथ APEDA जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत है और एक और मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग टेक्नॉलोजी भी इस मामले में कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज बनाने में प्रदेश सरकारों की मदद करती है।

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, ऐसा होता है कि किसान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा करते हैं तथा सब्जी मंडी में लेकर जाते हैं और सब्जी मंडी के बाद छोटे-छोटे व्यापारी उसे लेकर उपभोक्ताओं के पास जाएंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि किसानों को डॉयरेक्ट मार्केट मिले और वे अपने यहां उत्पादित फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्वयं मार्केट में बेच सकें और बिचौलिया सिस्टम खत्म हो जाए, उनके लिए भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं?

डा. संजीव कुमार बालियान : माननीय सभापति जी, इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। करीब दस प्रदेश सरकारें इस बात पर सहमत हो चुकी हैं कि ए.पी.एम.सी. एक्ट में सुधार के बाद फल और सब्जियों को मंडी टैक्स से मुक्त किया जाए और किसानों को यह सुविधा दी जाए कि वे

कहीं भी बेच सकें। इसी संबंध में कृषि मंत्रालय द्वारा दिल्ली में एक मंडी में ए.पी.एम.सी. में सुधार किया गया है और किसान खुद किसान मंडी के नाम से अपना माल वहां लाकर बेच सकेंगे और मंडी में किसानों को कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, इसके लिए FPOs, फॉर्मस प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन के द्वारा उनको स्थान अलॉट किए जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri K. N. Balagopal.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, the question is about the Government's initiative to have a special mechanism for a proper marketing system to provide satisfactory prices to farmers for selling of fruits and vegetables.

Sir, marketing is related to the development of products, processing, storage, transportation, etc. of fruits and vegetables. Is the Government initiating some modern kind of market, refrigerated marketing and processing of the production? That was, basically, the question. That answer has not been given. The Ministry is talking about deregulating the marketing. I wish to know if there is any regulation about the marketing of fruits and vegetables in the country. What do you mean by deregulating the marketing of agricultural products like fruits and vegetables? What do you mean by deregulation of the marketing? That is what I would like to know from the Minister.

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सभापति जी, रेगुलेटरी का मतलब बहुत साफ है कि जब किसान मंडी में आता है, तो बिचौलिए वहां रहते हैं। मंडी कानून में पहले ऐसा रहा है कि फल, सब्जी पर भी उनको टैक्स देना है। हमने फल और सब्जियों को मंडी कानून के टैक्स से मुक्त करने के लिए राज्यों से आग्रह किया। बारह राज्यों ने इस बात को मान भी लिया है और इससे मुक्त कर दिया है, किसान वहां मार्केटिंग एक्ट से बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा, जैसी पहले प्रश्न के जवाब में चर्चा हुई, लघु कृषि व्यापार संघ, किसानों का एक समूह बनाकर उस इलाके में मंडी स्थापना हो, इसके लिए भी हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। हमने इसका एक प्रयोग दिल्ली में किया है। अभी तक लगभग साढ़े चार सौ एफ.पी.ओ., फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो चुका है और नमूने के तौर पर दिल्ली में एक किसान मंडी भी प्रारंभ की गई है। हर राज्य को इसके लिए कहा गया है और एक बैठक भी हमने बुलाई थी, जिसमें 20 राज्यों के अधिकारी आए थे और राज्य मंत्री भी आए थे। हम इसमें राज्यों को मदद करने के लिए भी तैयार हैं और मंडी कानून से मुक्त कर सीधे उन्हें अपनी फल-सब्जी मार्केट तक ले जाने के लिए कर रहे हैं, ताकि बिचौलिए बीच में न आएं।

श्रीमती रजनी पाटिल : सभापति महोदय, खेत से जब सब्जी या फल आते हैं, तो 30 प्रतिशत उसमें नुकसान हो जाता है। यह बहुत विरोधाभास की बात है कि हम चप्पल और जूते लेने के लिए जाते हैं, तो वे एअर कंडीशंड शो-रूम्स में मिलते हैं, लेकिन सब्जियां और फल नदी के किनारे या किसी नाले के किनारे धूल खाते हुए मिलते हैं। क्या कृषि मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि बिचौलियों को दूर करके डायरेक्ट फल और सब्जियों के लिए कोई स्पेशल मॉल्स बनें और ऐसी कोई विपणन की व्यवस्था हो?

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति जी, आपके दो विषय हैं, एक तो किसान को ठीक से दाम मिलें, उसका उत्तर हमने पहले दे दिया है। जहां तक स्टोरेज का सवाल है, स्टोरेज के लिए हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर देश में कोल्ड-चेन शुरू किए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज का जहां तक सवाल है, 2009 तक यह ढाई करोड़ मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हुए थे, 2009 से लेकर अभी तक तीन करोड़ अठारह लाख मीट्रिक क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हो चुके हैं और कोल्ड-चेन के माध्यम से इस गति को हम और तेज कर रहे हैं।

SHRI P. RAJEEVE: Sir, actually the question sought to ensure satisfactory price for food and vegetables. But, Sir, most of the fruits like apple, mango, etc., are imported from different countries. Our Government has entered into Free Trade Agreement with different countries. Now the Government is going to sign the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). My question is: Has the Government conducted any specific review of the Free Trade Agreement with different countries and its impact on the price of food and other agricultural products? If so, what are the findings?

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति जी, इस बीच में कई देशों के साथ हमारी बातचीत हुई है, कई नए समझौते भी हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत, जो हम आम का निर्यात करते थे, जो वर्षों से यू.के. में बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी दो-तीन बार बैठक हो चुकी है और जो मानक उन्होंने बताए थे, उसी के अनुसार हमने लगभग तैयार कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारा वह निर्यात भी शुरू हो जाएगा।

SHRI P. RAJEEVE: Sir, my question is: Has the Government conducted any review of this Free Trade Agreement? It is a very specific question; it is not a question on mango. My question is on Free Trade Agreement. I seek your protection. I want a specific answer for that. Has the Government conducted any review of the Free Trade Agreement, specifically the impact on the price of food and other agricultural products? If so, what are the details? This is my question. I am not asking any question on mango and other things.

MR. CHAIRMAN: is this the appropriate Ministry for answering this question?

डा. संजीव कुमार बालियान : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि ज्यादातर फल और सब्जियों पर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, अगर हमारे यहां आती हैं। **...(व्यवधान)**... सुनिए। चूंकि एग्रीकल्चर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायरैक्ट 'एपीडा' के थ्रू है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत है, इसलिए ज्यादातर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू होते हैं। यह बात माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। **...(व्यवधान)**... लेकिन, चूंकि **...(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. No discussion on this. The House is adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at ten minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty three minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS BILLS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will not take up Private Members' Legislative Business. Bills for Introduction, Shri Prabhat Jha.

The Accident Affected Persons (Equal Compensation) Bill, 2014

श्री प्रभात झा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुचित सरकार द्वारा दुर्घटनाओं में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए समान क्षतिपूर्ति का प्रावधान करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री प्रभात झा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

The National Himalayan Region Environment Protection and Development Bill, 2014

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय हिमालयी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और विकास संस्थान की स्थापना और देश के हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्य करने के लिए निधि की स्थापना और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री प्रभात झा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Tiruchi Siva has to catch a flight. So, I am calling his name. Shri Tiruchi Siva to move.

The Rights of Transgender Persons Bill, 2014

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy